

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, खण्ड-अलवर

C/o CM&HO Office, Near Nangli Circle, Alwar

No -

Date:-

निदेशक,
जनसम्पर्क निदेशालय,
राजस्थान, जयपुर।

महोदय,

विषय :- ई-निविदा सूचना -9/2012-13 प्रकाशित कराने के संबंध में।

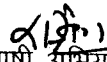
उपरोक्त विषयान्तर्गत ई-निविदा नोट (समाचार पत्रों में प्रकाशन बाबत) की सात प्रतियों व विस्तृत निविदा (DIPR की वेब साईट पर अपलोड करने बाबत) की दो प्रतियाँ संलग्न कर प्रकाशित कराने हेतु भिजवाई जा रही है। उक्त विज्ञापन को PWF & AR के नियम 331 के अनुसार एवं न्यूनतम स्पेस में एक बार निम्न में प्रकाशित कराने की व्यवस्था करें -

1. दो अखिल भारतीय स्तर के दैनिक समाचार पत्रों में।
2. दो राज्य स्तरीय प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में।
3. एक प्रमुख क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में।
4. किसी ट्रेड जनरल में जो निविदायें आमंत्रित कराने की सूचनाओं को प्रकाशित करने की विशेषता रखता हो।

प्रकाशन की सूचना एवं बिल तीन प्रतियों में भुगतान हेतु प्रेषित करावें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

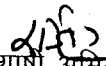

अधिशाषी अभियन्ता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
राज0 अलवर

दिनांक : 18/10/12

क्रमांक: ६६/अल/२०१२-१३/अ. ३७०

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अलवर।
2. अधीक्षण अभियन्ता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जयपुर।
3. अध्यक्ष, राजस्थान बिल्डर्स एसोसियेशन, सा0नि0वि0 अलवर।
4. नोटिस बोर्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, अलवर।
5. कन्सलटेंट आई टी.एन.आर. एच. एम.जयपुर को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने बाबत।


अधिशाषी अभियन्ता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
राज0 अलवर

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, खण्ड-अलवर

C/o CM&HO Office, Near Nangli Circle, Alwar

No.

Date:-

ई-निविदा सूचना - 9/2012-13

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राज्य के अलवर जिले के विभिन्न स्थानों पर मय तीन साल की दोष निवारण अवधि के लिए उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के एए., ए. व बी. श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्माण कार्य हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया द्वारा ऑन लाइन निविदायें आमंत्रित की जाती है :-

क्र. सं.	जिला	कार्य का नाम	अनुमानित लागत निर्माण कार्य (राशि लाखों में)	धरोहर राशि (राशि लाखों में)	निविदा शुल्क (रु.में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5		6
1.	अलवर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नारायणपुर, मुण्डावर, कटुमर में जे.एस.वाई. वार्ड तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झालाटाला, कालवाडी का निर्माण कार्य (रिस्क एवं कोस्ट पर शेष कार्य)	67.00	1.34	1000/-	4 माह
2.	अलवर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बर्डीद, प्रा. स्वा. केन्द्र तांसिंग, जागुवास, मुण्डनवाडा कला, माजरा, जिला अलवर में मरम्मत एवं निर्माण कार्य तथा सा. स्वा. केन्द्र माण्डन जिला अलवर में आवासीय क्वार्टरस का निर्माण कार्य। (रिस्क एवं कोस्ट पर शेष कार्य)	106.00	2.12	1000/-	9 माह

निविदा प्रपत्रों को वेब साइट "[www://eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in)" से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक निविदा इलेक्ट्रॉनिक फारमेट में बेबसाइट "www.eproc.rajasthan.gov.in" पर जमा कराएँ।

निविदा हेतु पात्र संवेदकों की श्रेणी:-

किसी भी सीमा तक : एए श्रेणी संवेदक

रुपये 300 लाख तक : ए श्रेणी संवेदक

रुपये 150 लाख तक : बी श्रेणी संवेदक

1. धरोहर राशि निविदा प्रपत्र में दर्शाई गई कुल अनुमानित लागत की दो प्रतिशत होगी एवं धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ पे आर्डर अधिशाषी अभियन्ता मेडिकल एण्ड हैल्थ अलवर A/c स्टेट हैल्थ सोसायटी को देय होगी।
2. निविदा प्रपत्रों हेतु आवेदन/डाउनलोड की अवधि दिनांक 08.11.2012 से दिनांक 07.12.2012 को सांय 5.00 बजे तक होगी।

3. (अ) निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में बेव साइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर दिनांक 10.12.2012 को अपराह्न 2.00 बजे तक जमा कराये जा सकते हैं एवं प्राप्त निविदा, इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में बेव साइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर, इस कार्यालय में दिनांक 12.12.2012 अपराह्न 3.00 बजे खोली जायेगी।

यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदायें खोली जायेगी।

- (ब) निविदा जमा कराने के बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑन लाइन होगी।
- (स) निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सारी निविदाएं नहीं खोली जा सकती है तो उसके अगले कार्य दिवस शेष निविदाएं खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।
4. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि तथा आर.आई.एस.एल. के पक्ष में देय शुल्क के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक के साथ रजिस्ट्रेशन प्रामाण पत्र एवं बिक्री कर चुकता का प्रमाण पत्र की प्रतियां वेब साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करना आवश्यक है।
5. इस कार्यालय में संवेदक द्वारा दिनांक 08.11.2012 समय 9.30 बजे से दिनांक 07.12.2012 सांय 5.00 बजे तक निविदा प्रपत्र को देखा जा सकता है अथवा वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर भी देखे जा सकता है। निविदा प्रपत्रों में निविदाकर्ता के लिये योग्यता सूचना तथा निविदाकर्ता की पात्रता, प्लान, स्पेसिफिकेशन, ड्राईंग, विभिन्न कार्यों की मात्रा एवं दरों का विवरण, नियम, शर्तें एवं अन्य विवरण वर्णित है।
6. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक द्वारा अधिशाषी अभियन्ता मेडिकल एण्ड हैल्थ अलवर A/c स्टेट हैल्थ सोसायटी, के पक्ष में बनाया जायेगा। निविदा शुल्क व धरोहर राशि एवं आर.आई.एस.एल. के पक्ष में देय शुल्क इस कार्यालय में दिनांक 12.10.2012 अपराह्न 1.00 बजे तक जमा कराया जा सकेगा।
7. निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृत हेतु मान्य (Open) रहेगी। यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
8. यदि संवेदक का नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त संबंधी व उनके पति/पत्नि) कार्य से संबंधित वृत्त अथवा अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो तो उसे कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
9. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर अथवा इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवा निवृत्ति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहाँ सेवायें लेने से पहले अनुमति नहीं ली है तो अनुबंध रद्द किया जा सकेगा।

10. निविदादाता इन प्रपत्रों को Download कर सकते हैं। निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में इस कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा कराना आवश्यक है।
11. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है। अतः पी.डब्ल्यू.ए- 100 की समस्त शर्तें मान्य होगी।
12. संवेदक द्वारा उक्त कार्यों के लिये निर्धारित मशीनरी जो निविदा की स्पेशल कंडीशन में वर्णित है को स्वयं के पास होने या किराये पर लेने का प्रमाण पत्र देना होगा।

13. निविदा शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है:-

कार्य की अनुमानित राशि	:	निविदा शुल्क
50 लाख से कम	:	500/- रुपये
50 से 150 लाख तक	:	1000/- रुपये
150 लाख से 400 लाख तक	:	2000/- रुपये

14. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.1(1)एफ.डी./जी.एफ.एण्ड ए.आर./2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं. 19/2011) के अनुसार 50.00 लाख रु. तक की राशि के कार्यों के लिए 500/- व 50.00 लाख रुपये अधिक राशि के कार्यों के लिए 1000/- रु. की राशि निविदा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी जो डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में देय होगी। यह डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल. के पक्ष में व जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिये।

15. कार्य पूर्ण करने की अवधि में मानसून अवधि शामिल है।

16. कार्य का दोष निवारण एवं उनके सुधार का उत्तरदायित्व कार्य पूर्णता के पश्चात तीन वर्ष तक रहेगा।

17. ई-टेंडरिंग के लिये निविदा दाता हेतु निर्देश

अ. इन निविदाओं में, दिलचस्पी लेने वाले निविदा दाता निविदा प्रपत्रों को इन्टरनेटसाइट **"www.eproc.rajasthan.gov.in"** से डाउनलोड (Download) कर सकते हैं।

ब. निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साइट **"www.eproc.rajasthan.gov.in"** पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाइन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट - 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रॉनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आयेगा। निविदा दाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदा दाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

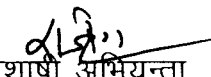
स. निविदा दाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फॉर्म में स्वीकार्य नहीं होगा।

द. ऑन लाइन निविदायें निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोली जायेंगी।

य. इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्र को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गयी है।

र. कोई भी टेंडर इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।

ल. टेंडर के प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।


 अधिशाषी अभियन्ता
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
 अलवर।

(समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु एवं अपलोडिंग हेतु)

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, खण्ड-अलवर
C/o CM&HO Office, Near Nangli Circle, Alwar

No.

Date:-

ई- निविदा सूचना संख्या -9/2012-13

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राज्य के अवलर जिले में विभिन्न स्थानों पर भवन निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवम् दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के "ए", "एए", व "बी" श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से कार्यों हेतु ई-टेंडरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 10.12.2012 को प्राप्त की जावेगी। निविदा से संबंधित विवरण बेवसाइट "www.dipronline.org" व "www.rajswasthya.nic.in" पर देखा जा सकता है।


अधिशाषी अभियंता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अलवर